न्यायालयः—श्रीमान् प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,जिला—अशोकनगर, (म.प्र.) ।। पीठासीन —राजेन्द्र सिंह ठाकुर।।

प्रकरण कमांक-42ए/2004 संस्थित दिनांक-03.08.2006 सी.आई.एस.क.-235101000592006

आपत्तिकर्ता :-

- 1. प्रेमकुमार पुत्र चिमन लाल संडाना
- 2. श्रीमति डिम्पल पत्नी प्रेमकुमार सडाना निवासीजन–रघुवंशी गली, अशोकनगर

<u>..... आवेदकगण</u>

- 1. भगवान पुत्र लक्खा सिंह सिख
- 2. गुरमीत कौर पत्नी कृपाल सिंह सिख
- 3. निदंर कौर पत्नी हरदयाल सिंह सिख
- 4. शिवराज कौन पत्नी भगवान सिंह सिख निवासीजन—ग्राम भियाखेडी, तह.—ईसागढ, जिला—अशोकनगर, हाल—निवासी—सनराईज स्कूल के पीछे, विदिशा रोड, चुंगीनाका, अशोकनगर
- 5. भगवती प्रसाद पुत्र राम लाल शर्मा (मृत)
- (अ) गेंदी बाई बेवा पत्नी भगवती प्रसाद
- (ब) हरिओम पुत्र भगवती प्रसाद ब्राम्हण
- (स) राजेन्द्र पुत्र भगवती प्रसाद ब्राम्हण
- (द) घनश्याम पुत्र भगवती प्रसाद ब्राम्हण निवासीजन—विदिशा रोड, अशोकनगर
- (क) वीरेन्द्र पुत्र भगवती प्रसाद ब्राम्हण निवासी—108, अभय काम्पलेक्स, सुरेन्द्र पैलेस, यूनिवर्सिटी के सामने, भोपाल, म.प्र.
- 6. प्रेमनारायण पुत्र रामलाल शर्मा निवासी—विदिशा रोड, अशोकनगर
- 7. म.प्र.शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय,गुना हाल–जिला कलेक्टर, अशोकनगर, म.प्र.

.....<u>प्रतिवादी / मद्यून</u>

।। विरूद्ध।।

डिकधारी :-

 द्वारका पुत्र विष्णु प्रसाद पाठक, उम्र–49 वर्ष, निवासी–चौधरी मोहल्ला, थाना–अशोकनगर, जिला–अशोकनगर

..... अनावेदक

1. बाबू लाल पुत्र सुंदर लाल पाठक, उम्र–59 वर्ष,

2. विष्णु प्रसाद पुत्र सुंदर लाल पाठक, उम्र–55 वर्ष, निवासीजन-पाराशर मोहल्ला अशोकनगर

..... वादीजन / डिकीधारी

आवेदक / डिकधारी की ओर से :- श्री विष्णु बिरथरे अधि.। आपत्तिकर्ता की ओर से

ः– श्री जे.एन.राजौरिया अधिवक्ता।

<u>-:: आदेश ::-</u>

(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित किया गया)

- इस आदेश के द्वारा आपत्तिकर्ता प्रेमकुमार एवं डिंपल द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत आवेदन पत्र धारा 21 नियम 97 एवं धारा 151 सीपीसी दिनांक 09.09.14 का निराकरण प्रश्नगत् प्रवर्तन प्रकरण क-42ए/04, बाबू लाल आदि विरूद्ध भगवान सिंह आदि में वादग्रस्त भूमि सर्वे क-1387 रकबा 0.014 हे. विदिशा रोड अशोकनगर के आधिपत्य एवं खर्च अंतरभृत लाभ दिलाए जाने के संबंध में की गई आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है।
- प्रकरण में कोई महात्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।
- आपित्तिकर्तागण का आवेदन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सर्वे क्र-1387 रकबा 0.014 हे. भूमि विदिशा रोड अशोकनगर के संबंध में दिनांक 24.12.05 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया था एवं डिक्री किया गया था। श्रीमान द्वितीय अपर जिला जज महोदय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा दो अपील प्रकरण क—10ए/06 एवं 15ए / 06 प्रस्तृत की गई थी, जिसे अपीली न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.06 को निरस्त कर दिया गया है। द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय बेंच ग्वालियर में प्रस्तुत की गई थी, जहां से द्वितीय अपील भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है। जिसके पालन में डिकीधारी द्वारा यह इजरा प्रस्तुत की गई है। उस पर आपित्त करते हुए बताया है कि आपित्तिकर्तागण को वाद में संयोजित नहीं किया गया है। वादी ने वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अ,क,ख,द से दर्शित किया है जो कि दस फिट लंबा तथा पंचास फिट चौडा है। इस भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा। प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि में बने आरसीसी से निर्मित दो मंजिला मकान, जिसकी लंबाई 55 फिट 6 इंच तथा चौडाई 11 फूट 9 इंच के निर्मित भाग को प्रतिरोधकर्ता प्रेम कुमार द्वारा दिनांक 04.07.1996 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर लिया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण मद्यून द्वारा निर्मित भवन से लग कर प्रतिरोधकर्ता डिंपल सडाना के हित में आधिपत्य दिया गया है। प्रकरण में भूमि सर्वे क-1386 मिन में से रकबा 0.051 हे. सर्वे क-1391 के रकबा में से 0.010 हे. एवं सर्वे क-1393 रकबा 0.010 हे. कूल किता तीन कूल रकबा 0.071 हे. विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय कर आधिपत्य में है जो कि वाउंड्री वाल से कवर्ड है। वर्ष 1996 से आपित्तिकर्तागण का निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिवादी क-1 के द्वारा साक्ष्य के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि उसने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से आपित्तिकर्ता को भूखण्ड विक्रय कर आधिपत्य दे दिया है। आपत्तिकर्तागण हितबद्ध पक्षकार थे। परंतु न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया ताकि

आपत्तिकर्तागण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। वादग्रस्त स्थान पर आपित्तिकर्तागण ने रबर इंडस्ट्री का कारखाना एवं कमरों का निर्माण कर लिया गया है। डिकीधारी द्वारा कभी भी कोई आपित्ति निर्माण कार्य में नहीं की है। विवादित स्थल दस गुणा पंचास फिट लंबा—चौडा बताया गया है। आपित्तिकर्तागण के स्वामित्व के निर्मित भवन को गैर कानूनी रूप से वादीगण तुडवा कर कब्जा प्राप्त कर रहे है, जिसका उसे अधिकार नहीं है। अतः आपित्ति का निराकरण किए जाने की प्रार्थना की है।

4. डिक्रीधारी की ओर से उक्त आवेदन का जबाव प्रस्तुत कर यह बताया है कि आपित्तिकर्ता द्वारा उक्त भूमि प्रकरण के लंबन के दौरान क्रय की गई है। धारा 52 संपित्ति अंतरण अधि. के अधीन क्रय की है जो कि बंधनकारी है। इस कारण वादीगण डिक्री का निष्पादन करने के अधिकारी है। आपित्तिकर्ता के आपित्ति में उठाए गए तथ्य न्यायालय द्वारा पारित की गई निर्णय व डिक्री की अवमानना के तुल्य है। आपित्तिकर्ता को आपित्ति करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः आवेदन निरस्त कर निष्पादित कराए जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण में आवेदन के निराकरण हेत् मुख्य विचारणीय बिंदु यह है कि :-

- 1— क्या, न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 24.12.05 प्रकरण क्र—44ए / 05 आपत्तिकर्ता पर बंधनकारी है ?
- 2— क्या, आपित्तिकर्ता उनके द्वारा क्रय की गई भूमि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी है ?

विचारणीय बिन्दु के निष्कर्ष व आधार :-

उपरोक्त विचारणीय बिंदुओं के संबंध में उभय पक्षों द्वारा अपनी–अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में आपत्तिकर्ता प्रेम कुमार सडाना अ.सा-1 ने बताया है कि 4 व 5 जुलाई 1996 को भगवान सिंह, भियाखेडी से उक्त स्थल क्रय किया था, तब उस पर दो मंजिला मकान बना था। उक्त स्थल खरीदने के पश्चात् दिनांक 16.01.97 को वाडा क्रय किया था। उक्त वाडा पूर्व से वाउंड्री वाल से सुरक्षित था। उसने भगवान सिंह से जो भूमि क्रय की थी, उसका सर्वे नंबर याद नहीं है। उक्त परिसर जो क्रय किया गया है, उसके पास कोई भी रिक्त भूखण्ड मौके पर नहीं है। मात्र एक 4-5 फिट की गली है, जिसमें से हरिजन बस्ती के लोग आते-जाते थे। भगवान सिंह से क्रय करते समय परिसर से संबंधित व्यक्तियों के मध्य कोई व्यवहार प्रकरण चला हो तो उसकी उसे जानकारी नहीं है। अगस्त 2014 में न्यायालय के कुछ कर्मचारी व अशोकनगर के पटवारी मौके पर पहुचे तो उसने भगवान सिंह से जानकारी ली जो उसने बताया था कि उक्त स्थल के संबंध में केस चल रहा है। किंतू डिकीधारी जन की कोई जगह नहीं होना बताया था। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने दीवानी प्रकरण लंबित रहने के दौरान कोई आवेदन पेश किया था कि वह विवादित स्थल प्रेम सडाना को विक्रय कर चुका है। किंतु आवेदक / डिक्रीधारी ने उसे पक्षकार नहीं बनाया। भूमि क्रय किए जाने के उपरांत डेढ दो वर्ष तक निर्माण कार्य किया था। परंतु कोई व्यक्ति उसका कार्य रूकवाने नहीं आया और न ही आपत्ति की थी। डिकीधारी ने जो न्यायालय से निर्णय प्राप्त किया है वह उसकी जानकारी में नहीं है, उसे सुने बिना प्राप्त किया है एवं पटवारी द्वारा सीमांकन के दौरान यह पाया था कि नक्शा में और डिकी के साथ प्रस्तुत जो अक्स/नक्शा है, उसमें अंतर है। इसलिए पटवारी ने डिकी के पालन में कार्यवाही नहीं की थी।

- 6. प्रेमकुमार सडाना अ.सा—1 का डिकीधारी की ओर से विस्तृत रूप से कूट परीक्षण किया गया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि भगवान सिंह के परिवार की महिलाओं के नाम से भूमि थी। मुख्त्यारआम ब्रजामोहन से भूमि क्रय की थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय में आपत्ति करते समय या पश्चात् में उक्त प्रकार की विवादित भूमि से संबंधित रिजस्ट्री, नक्शा, चतुर्सीमा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह इजरा संबंधित प्रकरण वर्ष 1990 से न्यायालय में चला रहा है। भूमि खरीदते समय प्रकरण के लंबित होने की जानकारी होने से इंकार किया है। इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित स्थल के संबंध में पृथक से एक वाद डिक्रीकर्ता के विरुद्ध पेश किया गया था। वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
- खण्डन में डिकीधारी साक्षी द्वारका प्रसाद अ.सा-1 ने बताया है कि उसने 7. न्यायालय में दिनांक 04.09.90 को प्रतिवादी भगवान सिंह, गूरमीत कौर, शिवराज कौर एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध भूमि सर्वे क-1387 रकबा 0.042 हे. में से 0.014 हे. जिसे नक्शा में अ,ब,स,द से दर्शित किया गया था। स्वत्व घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 24.12.05 को निर्णय डिक्री पारित कर प्रतिवादीगण को आदेशित किया गया है कि अतिक्रमण हटा कर दो माह की अवधि में वादी को रिक्त आधिपत्य प्रदान करें एवं अपील में दिनांक 13.09.90 से विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य दिए जाने तक दो सौ रूपए प्रतिमाह अंतरिम लाभ दिलाए जाने का आदेश किया गया है, जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है। उसने अपने इजरा के समर्थन में डिकी, निर्णय तथा संलग्न नक्शा प्र.पी–1, अपील प्र. क.-15ए/06 निर्णय दिनांक 17.04.06 व डिक्री पेश की है जो प्र.पी-2 है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रिटपिटीशन की सत्यप्रतिलिपी प्र.पी-3 है। सिविल रिवीजन की सत्यप्रतिलिपी प्र.पी-4 प्रस्तुत की है। इस साक्षी ने 15 बाई 75 वर्गफिट जगह होना बताया है। उसे जानकारी नहीं है कि भगवान सिंह का जो मकान बना है, वह कितने वर्गफिट लंबाई-चौडाई में बना है।
- 8. प्रकरण में आपित्तिकर्ता द्वारा की गई आपित्त के संबंध में विचार किया गया। संपत्ति अंतरण अधि. 1882 धारा 52 में यह प्रावधान दिया गया है कि किसी अधिकारिता एवं विधिपूर्ण न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद या कार्यवाही के के लंबित रहते हुए जो दुस्संधीपूर्ण न हो और जिसमें स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षता और विनिर्दिष्टता प्रश्नगत् हो वह उस वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधीकार के अधीन और भी निबंधनों के साथ जैसा कि वह अधिरोपित करें अंतरित या व्ययनित की जाने के सिवा भी अंतरित या अन्यथा व्ययतित नहीं की जा सकें कि उससे किसी अन्य पक्षकार के किसी डिकी या आदेश के अधीन जो उसमें दिया जाए अधिकारों पर प्रभाव पडे। उक्त संबंध में यह भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि वाद या कार्यवाही का लंबन इस आधार के प्रयोजन के लिए उस तारीख से प्रारंभ माना जायेगा, जिस तारीख को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद या कार्यवाही प्रस्तुत की गई है और तब तक चलता हुआ समझा जायेगा जब तक उस वाद या कार्यवाही द्वारा अंतिम डिकी या आदेश द्वारा न हो गया हो और ऐसी डिकी या आदेश को पूरी तुष्टी या उन्मोचन अभिप्राप्त न कर लिया गया हो। प्रश्नगत् प्रकरण में

उक्त विधिक प्रावधान के आलोक में विचार किया गया। आपित्तकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र के पद क—3 में यह आपित्त की गई है कि उन्हें वाद में संयोजित कर उन्हें नहीं सुना गया है। वादी द्वारा कपट पूर्वक जयपत्र प्राप्त किया गया है। इस कारण से वह निष्पादन कराए जाने का अधिकारी नहीं है।

- 9. इस संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत <u>धन्ना सिंह एवं अन्य विरूद्ध बलजिंदर कौर एवं अन्य 1997 (5) एस.सी.सी. 476</u> एवं <u>गोवर्धन विरूद्ध ६ ॥सीराम 2002 (1) एम.पी.एल.जे. पेज नं—200</u> में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धांत अवलोकनीय है। प्रकरण में विचार किया गया।
- आपित्तिकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र के पद क-4 में यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क-2 लगायत 4 द्वारा उनके स्वामित्व की भूमि में बने आरसीसी से निर्मित दो मंजिला मकान जिसकी लंबाई 55 फिट 6 इंच चौडाई 11 फिट 9 इंच को आपित्तिकर्ता प्रेम कुमार द्वारा दिनांक 04.07.96 को रिजस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया है। अतः आवेदन पत्र में किया गया अभिवचन से यह स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रतिवादीगण से वादीग्रस्त स्थान पर निर्मित दो मंजिला भवन जो कि पूर्व से निर्मित था। दिनांक 04.07.96 को क्रय किया गया है। क्रय किए जाने की दिनांक 04.07.96 होना दर्शित की गई है एवं भवन पूर्व से निर्मित होना भी बताया गया है। जबकि डिकीधारी द्वारा अपने जबाव में वर्ष 1990 में वाद प्रस्तुत करना बताया है एवं वाद का निराकरण प्रस्तुत निर्णय प्र.पी–1 के अनुसार दिनांक 24.12.05 को किया गया है। उक्त निर्णय में प्रकरण 42ए/04 का संस्थित दिनांक 04.09.90 होना दर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में आपित्तिकर्ता द्वारा दर्शित अभिवचनित दिनांक 04. 07.96 को वादग्रस्त संपत्ति क्रय किया जाना बताने से अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त संपत्ति प्रकरण के चलने के दौरान क्रय की गई है एवं जब क्रय की गई थी। तब उक्त भूमि पर दो मंजिला भवन निर्मित था। आपत्तिकर्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि का कोई विकय पत्र भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
- 11. विधि अनुसार एवं न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिंद्धांत के आलोक में विचारोपरांत यदि आपित्तिकर्ता द्वारा वादग्रस्त संपत्ति का कोई भाग वाद के लंबन के दौरान यदि क्रय भी किया गया है तो वह उसी प्रकार आवद्ध होगा जिस प्रकार प्रतिवादीगण आवद्ध है। आपित्तिकर्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने प्रतिवादी क—2 लगायत 4 से वादग्रस्त संपित्त क्रय की है। इस संबंध में प्र.डी—1 का कथन भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें साक्षी भगवान सिंह द्वारा दिनांक 29.09.05 को प्रतिपरीक्षण के दौरान विक्रय किए जाने का तथ्य उल्लेखित किया है। परंतु इस तथ्य का कही उल्लेख नहीं है कि प्रतिवाद पत्र में उक्त तथ्य को बताया गया हो प्रथम दृष्टया प्र. डी—1 से केवल साक्ष्य के दौरान उक्त तथ्य बताया जाना दर्शित होता है। परंतु इस संबंध में केता सावधान एवं लंबित वाद के सिद्धांत एवं आदेश 21 नियम 102 सी.पी.सी. के प्रावधान के आलोक में आपित्तकर्ता को कोई लाभ प्राप्त होना दर्शित नहीं होता।
- 12. अतः प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में प्रतिवादी क—2 लगायत 4 पर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय एवं आदेश आवद्धकारी है। ऐसी स्थिति में आपित्तिकर्ता भी उक्त निर्णय व आदेश से आवद्ध है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में आपित्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 21 नियम 97 एवं धारा 151 सीपीसी दिनांक 09.09.14 दो हजार रूपए(2,000 / —) के परिव्यय पर अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

_ प्रकरण.क.—42ए / 2004

आपत्तिकर्ता कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

.6.

आदेश खुले न्यायालय में टंकित, घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया

मेरे उद्वोधन पर टंकित किया गया

(राजेन्द्र सिंह ठाकुर) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, अशोकनगर (राजेन्द्र सिंह ठाकुर) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, अशोकनगर